

बिन्दु-2

पदाधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्यः—

दहेज प्रथा मुक्त भारत संस्था अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वय/सदस्य सचिव तथा पदाधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य निम्न प्रकार हैः—

क्रमांक	पद नाम	शक्तियाँ एवं कर्तव्य
1.	अध्यक्ष	: दहेज प्रथा मुक्त भारत संस्था के दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अर्तगत दहेज प्रथा की शिकायतों पर सुनवाई किया जाना। सभी शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्य का निर्वहन करना एवं शिकायतों सुनवाई किया जाना।
2.	उपाध्यक्ष	: दहेज प्रथा मुक्त भारत संस्था के दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अर्तगत दहेज प्रथा की शिकायतों पर सुनवाई किया जाना। सभी शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्य का निर्वहन करना एवं शिकायतों सुनवाई किया जाना।
3.	महामंत्री	: (1) संस्था में प्रशासन एवं शिकायतों से संबंधित सभी कार्यों को किया जाना।
4.	सचिव	: आयोग क विभिन्न मामलों में विधिक राय देना।
5.	सयोजक	: सदस्य सचिव के निर्देशन मं कार्य करना।
6.	कोषाध्यक्ष	: संस्था के समस्त वित्तीय मामलों से संबंधित कार्य।

7. प्रचार-प्रसार मंत्री : सदस्य सचिव के निर्देशन में कार्य करना।
8. संगठन मंत्री : अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वय द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन
9. सचिव : अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वय द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन।
10. सहायक सचिव : अधिकारी विधि अधिकारी क निर्देशन में कार्य करना।